I

अत्यावश्यक
नगरपालिका आम/उप
निर्वाचन, 2026

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

संख्या– न.नि.50–07/2026 1377

प्रेषक,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
–सह–जिला पदाधिकारी, दरभंगा।

पटना, दिनांक– 30.3.26

विषयः– **नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2026; मार्गदर्शन के संबंध में।**

प्रसंगः– **आपका पत्रांक–573, दिनांक–23.3.2026 एवं आयोग का पत्रांक–936, दिनांक–06.03.2026**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–573 दिनांक–23.03.2026 द्वारा मो0 अख्तर शहंशाह का नाम नगर पंचायत, बिरौल के निर्वाचक सूची में शामिल किये जाने के संबंध में मार्गदर्शन की मांग की गई है।

आपके द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन से यह स्पष्ट नहीं है कि आयोग द्वारा अख्तर शहंशाह को अयोग्य घोषित किये जाने के उपरांत मो0 शहंशाह ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित आवास को त्याग कर नगर पंचायत, बिरौल के क्षेत्र अन्तर्गत आवासित हो गए हैं अथवा नहीं। यदि मो0 शहंशाह वास्तविक रूप से ग्रामीण आवास में सामान्यतः निवास करने के स्थान पर विगत छः माह से सामान्यतः नगर परिषद, बिरौल के क्षेत्र में निवास कर रहें हैं तो उनका नाम उक्त नगर निकाय के मतदाता सूची में अंकित किया जा सकता है परन्तु यदि मो0 शहंशाह केवल निर्वाचन कार्य में भाग लेने के उद्देश्य से नगर पंचायत, बिरौल के निवासी होने का दिखावा करतें हैं एवं सामान्यतः वहाँ निवास नहीं करते हैं तो उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

ज्ञातव्य हो कि आयोग के प्रासंगिक पत्र के कंडिका–3 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि मतदाता सूची सही ढंग से तैयार करने के लिए अंततः निबंधन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगें।

निदेशानुसार अनुरोध है कि उर्पयुक्त अंकित तथ्यों के आलोक में जाँचोपरान्त आयोग द्वारा दिये गए दिशा–निर्देश के अनुपालन के साथ संबंधित निबंधन पदाधिकारी निर्णय लिए जाने हेतु सक्षम हैं।

विश्वासभाजन

30/3/26

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847| E-mail: secbihar